(18)

168 / 3-6-15

निगरानी 1686-II-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा (म.प्र.)

pr-401

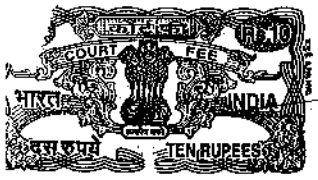

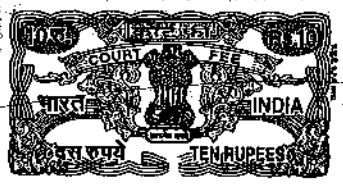

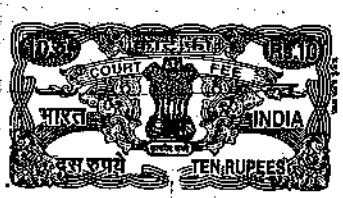

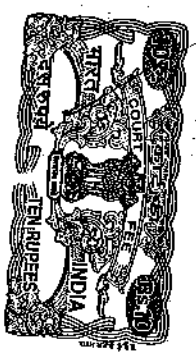

1. मुसम्मात मनीबाई बेवा रामसोहावन अहिरवार(चमार),उम्र-40वर्ष,पेशा कृषि,निवासी ग्राम कतकोनकला,तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.)

2. सुरेन्द्र,उम्र-22वर्ष,तनय श्री रामसोहावन चमार,निवासी ग्राम कतकोनकला ,तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.)

3. बालेन्द्र,उम्र-19वर्ष,तनय श्री रामसोहावन चमार,निवासी ग्राम कतकोनकला, तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.)

4. संदीप,उम्र-16वर्ष,तनय श्री रामसोहावन चमार बली सरपरस्त मां मनीबाई बेवा रामसोहावन चमार,निवासी ग्राम कतकोनकला,तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.) ....निगराकार

श्री ... द्वारा आज दिनांक 3-6-15 प्रस्तुत किया गया।

बनाम

1. [redacted]लसिया पुत्री गजाधर पत्नी परसदवा चमार,निवासी ग्राम बरकोनिया तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.)

2. रामकली उर्फ रमकली पुत्री गजाधर पत्नी नत्थू चमार,निवासी टिकुरी तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.) मृत-वारिस

8-6-15

1.अ. देवीदीन चमार,उम्र-30वर्ष तनय नत्थू चमार,साकिन टिकुरी,तहसील नागौद जिला सतना म.प्र. हाल मुकाम टगर (बेला) तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.)

2.ब रामसेवक चमार,उम्र-28वर्ष,तनय नत्थू चमार निवासी टिकुरी,तहसील नागौद,जिला सतना म.प्र. हालमुकाम बेला टगर बेला तहसील नागौद,जिला सतना (म.प्र.)

~~2.स शोभित चमार, उम्र 25 वर्ष नाबालिक संरक्षक पिता नत्थू चमार सा० टिकुरी तह० नागौद जिला सतना म.प्र.~~

2.द श्रीमती शंखू,उम्र-26साल,पत्नी झानू चमार,निवासी सलैया(लोधी वाली)

निरन्तर.....2

सुरेन्द्र बालेन्द्र मनी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A/1636/13 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-3-16	मैंने अविदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा नस्ती का परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय SDO द्वारा अविदकगण के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय इस आधार पर लिया गया है कि उनको भेजे गए नोटिस अदमतामील वापस आए एवं समाचारपत्र में प्रकाशन उपरान्त भी वे उपस्थित नहीं हुए। SDO न्यायालय से अविदकगण को भेजे गए नोटिसों के पृष्ठ भाग पर यह लिखा है कि "वे सतना (पैतेरी) में स्थाई रूप से निवास कर रहे हैं।" ऐसे में SDO का यह दायित्व था कि वे सतना (पैतेरी) में उनका स्थाई पता अपने न्यायालय के अविदकगण से मालूम करके वहाँ नोटिस भेजते। उन्होंने यह महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया और समाचारपत्र में विज्ञप्ति जारी कराई जो व्यक्तिगत	

[कृ. प. उ.

R 1636 - II/115 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नोटिस के समतुल्य नहीं थी, और संभवतः आवेदकगण की पैरवी से छूट गई।	
	अतः SDO द्वारा एकपक्षीय आधार पर पारित आक्षेपित आदेश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।	
	साथ ही SDO को यह निर्देश दिया जाता है कि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर देते हुए अपना आदेश पारित करें।	
	आवेदकगण इस आदेश की उन्हें सूचना के 1 माह भीतर, या SDO का नोटिस प्राप्त होने पर, उसमें नियत दिनांक को अनिवार्यतः SDO के समक्ष अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हों; यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो SDO उन्हें योग्य अवसर देते हुए पुनः एकपक्षीय कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकारगण एवं SDO नोटिस सूचित हों।	
	प्रकरण समाप्त।	
	दा. द. हो।	(सदस्य)